बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक ....

विषय : सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भवनों में ऑफिस स्पेस के आवंटन से संबंधित दिशा–निर्देश की स्वीकृति के संबंध में।
(Regarding the Apporval of Guidelines related to the allotment of office space in the buildings under the administrative control of the Department of Information Technology.)

राज्य में आई०टी०/आई०टी०ई०एस० एवं ई०एस०डी०एम० प्रक्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने तथा प्रक्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किए जाने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–765 दिनांक 26.06.2014 निर्गत है। साथ–ही–साथ राज्य में समावशी सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ, इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाईन एवं मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेशको आकर्षित करने तथा लाभकारी रोजगार सृजन के उद्देश्य से विभागीय संकल्प संख्या–78 दिनांक– 09.01.2024 के द्वारा बिहार आई०टी० पॉलिसी 2024 निर्गत किया गया है।

2. सूचना प्रावैधिकी विभाग अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी के द्वारा विभिन्न आधारभूत संरचनाओं, यथा आई०टी० टॉवर, आई०टी० पार्क इत्यादि को विकसित करने के क्रम में सृजित प्लग एण्ड प्ले, ऑफिस स्पेस एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा समय–समय पर अधिग्रहित स्थल आई०टी०/ आई०टी०ई०एस० एवं ई०एस०डी०एम० स्टार्ट–अप्स को आवंटित किया जाएगा।

3. प्लग एण्ड प्ले, ऑफिस स्पेस के आवंटन हेतु दिशा–निर्देश का निर्धारण निम्न रूप से किया जाता है। यह दिशा–निर्देश मात्र उस आवंटन प्रक्रिया पर लागू होगी, जो विभाग/प्राधिकृत एजेंसी के द्वारा किया जायेगा:–

(क) **निवेश के लिए लक्ष्य क्षेत्रवार :–**

राज्य के आई०टी०/आई०टी०ई०एस० और ई०एस०डी०एम० प्रेक्षत्र के स्टार्ट–अप्स के साथ–साथ आई०टी०, आई०टी०ई०एस० उत्पादों और सेवाओं के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहें स्टार्ट–अप को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग संकल्पित है। तत्हेतु निम्न लक्षित क्षेत्र में कार्य कर रहें पात्र स्टार्ट–अप्स को स्पेस आवंटन किया जाएगा।

➢ **आई०टी०/आई०टी०ई०एस० एवं ई०एस०डी०एम० स्टार्ट–अप्स के लक्षित क्षेत्र :–**

आई०टी०/आई०टी०ई०एस० सेक्टर	ई०एस०डी०एम० सेक्टर
• आई०टी० उत्पाद/सॉफ्टवेयर और सेवाएँ	• चीप निर्माण और डिजाइन
• नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (के०पी०ओ०)	• कंप्यूटर या पेरीफेरल्स और अन्य कार्यालय उपकरण विनिर्माण
• कॉल सेंटर (बी०पी०ओ०)	• सेमीकंडक्टर्स
• सॉफ्टवेयर विकास केन्द्र	• सर्वर और स्टोरेज डिवाइस
• डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेंट	• संचार और नेटवर्किंग उपकरण
• स्मार्ट टेक्नोलॉजीज	• स्मार्ट टेक्नोलॉजीज
• इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (आई०ओ०टी०)	• ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स
• बिग डाटा एनालेटिक्स	• मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स
• पीसी गेमिंग कंसोल	

गेमिंग, ऑनलाइन/मल्टीप्लेयर गेमिंग, मोबाईल गेमिंग, विडियो गेम्स • एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स या वीएफएक्स • वेब–डिजाइनिंग • ई–लर्निंग और ई–एजुकेशन • आईटी प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटर्स	• औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स • टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स • स्ट्रेटजिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण • इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएँ • सौर फोटो वोल्टाईक सेल और सौर पैनल • इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता और गैजेट • एल०ई०डी० • एंबेडेड सॉफ्टवेयर • रक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण • सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण • ड्रोन निर्माण • ई–वेस्ट रिसाईक्लिंग

* लक्षित क्षेत्र समय–समय पर बदल सकते हैं।

(ख) स्टार्ट–अप की परिभाषा :–

बिहार स्टार्ट–अप पॉलिसी–2022 में स्टार्ट–अप को परिभाषित (परिशिष्ट–4) किया गया है, एवं समय–समय पर यथा संशोधित ।

(ग) योजना कार्यकारी समिति :–

प्लग एण्ड प्ले, ऑफिस स्पेस आवंटन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने हेतु योजना कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की संरचना, दायित्व एवं शक्तियाँ विभाग के द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(i) योजना कार्यकारी समिति की संरचना :–

प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग	अध्यक्ष
प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सदस्य संयोजक
निदेशक, उद्योग विभाग	सदस्य
आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग/वित्त विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
संयुक्त निदेशक, एस०टी०पी०आई०, पटना।	सदस्य
निदेशक, आई०आई०टी०, पटना अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि।	सदस्य
उद्योग संघों के प्रतिनिधि (सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा मनोनीत किया जायेगा) प्रत्येक मनोनयन एक वर्ष हेतु किया जा सकेगा।	सदस्य

(ii) योजना कार्यकारी समिति के कार्य व शक्तियाँ :–

योजना कार्यकारी समिति के पास कंपनियों के चयन और स्थल आवंटन के निर्णय का अधिकार होगा। इसके कार्य निम्न होंगे :–

- स्थल के विकास और आवंटन की नीतियों/दिशा–निदेशों की समीक्षा एवं बदलावों का सुझाव देना।
- आवंटन के नियम व शर्त्तों की मंजूरी देना।
- कार्यालय स्थान के पट्टा किराया और शुल्कों के अन्य घटकों का निर्धारण। समिति के द्वारा अलग–अलग मंजिलों के लिए अलग–अलग दर का निर्धारण करने का भी अधिकार होगा।
- पट्टा किराया, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग–फी जैसे अन्य घटकों की समीक्षा करना और यथोचित बदलावों का सुझाव देना।

- आवंटन के लिए जगह की उपलब्धता के अनुसार हर तिमाही की शुरूआत में कंपनियों के आवेदनों की समीक्षा एवं कंपनियों का चयन करना। इस तरह प्रत्येक निमंत्रण, समीक्षा और आवंटन का सेट एक आवंटन चक्र बनाएगा।
- निरीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पट्टा अवधि को बढ़ाने/घटाने की किसी भी मामले का निष्पादन करना।
- परिशिष्ट–2 और 3 में परिभाषित आई०टी०/आई०टी०ई०एस० और ई०एस०डी०एम० सेक्टर के लक्षित क्षेत्रों की समय–समय पर समीक्षा करना।
- रख–रखाव और अन्य शुल्कों का निर्धारण व समय–समय पर उसमें बदलाव करना।
- मूल्यांकन अनुश्रवण कमिटी का गठन करना व निर्देश देना।
- आवेदकों के लिए पात्रता मानदंडों का निर्धारण और संशोधन।

(घ) स्टार्ट–अप कंपनियों का चयन और ऑफिस स्पेस का आवंटन से संबंधित शर्तें:–

बिहार स्टार्ट–अप नीति 2022 के खंड–5 के अनुसार पात्र यथा– परिशिष्ट–4 में परिभाषित स्टार्ट–अप को ही प्लग एण्ड प्ले सुविधायुक्त ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराया जायेगा।

प्लग एण्ड प्ले सुविधा में विकसित ऑफिस स्पेस के अतिरिक्त सामान्यतः मीटिंग रूमस, ब्रेकआउट एरिया, वॉशरूम और रिसेप्शन एरिया भी सम्मिलित होंगे। अन्य सुविधाओं में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक बैंडविथ के साथ फाईबर ऑप्टिक केबल, डीजल जनरेटर के माध्यम से पावर बैकअप के साथ निर्बाध पावर सप्लाई, एलिवेटर और सुरक्षा सेवाएँ, ऑपरेशन और मेंटनेंस, हाउसकिपिंग और पेस्ट कन्ट्रोल जैसी सुविधा प्रबंधन सेवाएँ सन्निहित होंगी।

आवंटन की अवधि :– आवंटन की प्रारंम्भिक अवधि 6 माह की होगी जो सभी शुल्कों से मुक्त होगी और जिसे निरीक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट और योजना कार्यकारी समिति के निर्णय के आधार पर 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा। आवंटन की अधिकतम अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी। जिसके उपरांत संकल्प में वर्णित विहित प्रक्रिया के अनुसार पुनः नये स्टार्ट–अप्स को स्पेस आवंटित किया जायेगा।

(i) स्टार्टअप्स हेतु आरक्षित स्थल के आवंटन की प्रक्रिया के चरण :–

- ➢ विभाग आवंटन हेतु उपलब्ध स्थल/रिक्ति का समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करेगा।
- ➢ योजना कार्यकारी समिति सभी प्रस्तावों का स्कोरिंग मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन करेगी और तदनुसार स्पेस आवंटन पर निर्णय लेगी एवं मूल्यांकन अनुश्रवण समिति सभी प्रस्तावों का स्थापित मानदंड के अनुसार मूल्यांकन करेंगी एवं इस प्रकार से तैयार मेधा सूची को योजना कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखेगी।
- ➢ योजना कार्यकारी समिति द्वारा आवंटन पर निर्णय।
- ➢ सभी चयनित स्टार्टअप के साथ एकरारनामा।

(ii) स्टार्टअप्स के लिए रिक्ति की अधिसूचना :–

स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध स्थान की सूचना दो प्रमुख अंग्रेजी और एक हिन्दी राष्ट्रीय समाचार–पत्र में विज्ञापन के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) स्पेस आवंटन के लिए आवेदन का विवरण :– परिशिष्ट–1' देखें।

(iv) मूल्यांकन मानदंड :–

स्टार्ट–अप को स्थल का आवंटन निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जाएगाः–

- ➢ बिहार आई0टी0 नीति 2024 के खंड–1.3 में वर्णित लक्षित क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्ट–अप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आई०टी०/आई०टी०ई०एस० एवं ई०एस०डी०एम० सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टार्ट–अप्स आवेदन कर सकेंगे। आई०टी० स्टार्ट–अप्स, जो इस परिसर को केवल मार्केटिंग कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उन स्टार्ट–अप्स को स्थान आवंटन नहीं किया जाएगा।
- ➢ विचार की गुणवत्ता, संभाव्यता, व्यवसायिक योजना, राजस्व मॉडल टीम की संरचना इत्यादि।

(1) वस्तुगत मूल्यांकन :–

क्रमांक	मानदंड		अंक
1.	मूलभूत कार्य क्षेत्र	आई०टी० और आई०टी०ई०एस० सेक्टर में अनुसंधान और विकास सेवाएँ **(परिशिष्ट–3)**	20
		लक्षित क्षेत्र में उत्पाद / सॉफ्टवेयर विकास **(परिशिष्ट–2)**	15
2.	स्थापना के वर्ष (अवधि की गणना मूल्यांकन तारीख पर की जाएगी)	2 वर्ष या उससे कम (≤2)	15
		2 वर्ष से ज्यादा और 6 वर्ष से कम (>2≤6)	10
		6 वर्ष से ज्यादा और 9.5 वर्ष से कम (>6<9.5)	05
3.	भारत सरकार के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप्स ।		05
4.	न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (Minimum Viable Product for IT/ESDM Startups)		05
5.	बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights)		05
6.	पिछले तीन माह का औसतन रेवन्यू रन रेट (Average Revenue Run Rate for last 3 Months)		05
7.	प्राप्त वित्तीय सहायता (Fund Support Secured as Grant-In-Aid/Seed Fund from Government Body/ Any Institution)		05.
	कुल अंक (A)		60

(2) विषयपरक मूल्यांकन :–

क्रमांक	मानदंड (विस्तृत व्यवसाय / प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत)	अंक
1.	Innovation and Uniqueness of Product/service	10
2.	Background & Team Composition	10
3.	Market Potential and Demand	05
4	Business Scalability Model and Sustainability	10
5	Traction and Milestone Achieved	05
	कुल अंक (B)	40

(3) कुल तकनीकी स्कोर

कुल प्राप्तांक–(A) + कुल प्राप्तांक–(B) = संचयी तकनीकी स्कोर–(100 में से)

(v) पात्रता :–

- 60 से अधिक संचयी टेक्निकल स्कोर को पाने वाली कंपनियाँ परिसर के अंदर वर्क स्टेशन्स / केविन्स जैसी अन्य सुविधाएँ प्राप्त करने की पात्र होगी।
- किसी विशेष आवंटन चक्र में प्राप्त सभी आवेदनों में से, उच्चत्तम संचयी तकनीकी स्कोर प्राप्त करने वाली कंपनी को तकनीकी रूप से सबसे योग्य (टीएमक्यू) कहा जाएगा। ऐसी कंपनी का आवंटन पर पहला अधिकार होगा और इसकी आवंटन आवश्यकता पहले पूरी की जाएगी।
- तकनीकी रूप से सबसे योग्य कम्पनी (टीएमक्यू) की आवश्यकता पूरी होने के बाद ही अन्य तकनीकी रूप से योग्य कंपनियों की आवश्यकता पूरी की जाएगी।

➢ आवेदनों की स्थिति के संबंध में जानकारी हेतु प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी।

(vi) ऑफिस स्पेस का आवंटन :—

➢ मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर एक मेधा सूची तैयार की जाएगी और उच्चतम संचयी स्कोर प्राप्त करने वाले स्टार्टअप को आवंटन का पहला अधिकार होगा।

➢ मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक आवंटी को अधिसूचित आवंटन सूची की अधिसूचना, जिसमें आवंटन के नियमों एवं शर्त्तों का उल्लेख होगा, उपलब्ध कराया जाएगा।

(vii) समय—सीमा :—

क्रमांक	श्रेणी	समय—सीमा (दिनों में)
1.	प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि	T
2.	योजना कार्यकारी समिति द्वारा कंपनी से स्पष्टीकरण का अनुरोध	T के बाद आवश्यकतानुसार
3.	प्रतीक्षा सूची के साथ कंपनीवार आवंटन के विवरण	T + 30
4.	अंतिम एकरारनामा	T + 45

(viii) आवधिक मूल्यांकन प्रक्रिया :—

➢ 6 माह के अंत में नियम व शर्त्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन अनुश्रवण समिति स्टार्टअप के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी और नियम व शर्त्तों के किसी भी उल्लंघन के मामलें में उचित कार्यवाही करेगी।

(ix) मूल्यांकन अनुश्रवण समिति :—

योजना कार्यकारी समिति के द्वारा मूल्यांकन अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा :—

- रिक्तियों का आकलन।
- आवंटन के मानदंड का निर्धारण।
- प्राप्त आवेदनों की समीक्षा तथा उसकी मार्किंग/मुल्यांकन।
- आवंटन के शर्त्तों का निर्धारण।
- आवंटनों का सतत् अनुश्रवण एवं समयबद्ध समीक्षा।

4. आवंटन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शर्त्तें :—

➢ स्पेस आवंटन के पूर्व स्टार्ट अप कंपनियों को अपने कर्मचारियों का पूर्ण विवरण (Curriculum Vitae) संलग्न कर विभाग में जमा करना होगा।

➢ स्टार्ट अप कंपनियों को अपने मौजूदा मानवबल का न्यूनतम 50% मासिक उपस्थिति आवंटित स्पेस स्थल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।

➢ स्टार्ट अप कंपनियों के कर्मचारियों को प्रतिदिन उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा।

5. वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भवनों में ऑफिस स्पेस के आवंटन से संबंधित दिशा—निर्देश की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

6. विभागीय संकल्प संख्या—1391 दिनांक 13.12.2019 को पूर्ण रूप से विलोपित समझा जाय।

<u>आदेश</u> :— *आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।*

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06–सू०प्रा०–55 / 2018.................. पटना, दिनांक............................

प्रतिलिपि : (अनुलग्नक–सी०डी० सहित) उप सचिव (ई–गजट) वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06–सू०प्रा०–55 / 2018.................. पटना, दिनांक............................

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री बिहार के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के विशेश कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06–सू०प्रा०–55 / 2018.................. पटना, दिनांक............................

प्रतिलिपि : सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06–सू०प्रा०–55 / 2018.................. पटना, दिनांक............................

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06–सू०प्रा०–55 / 2018.................. पटना, दिनांक............................

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06–सू०प्रा०–55 / 2018.................. पटना, दिनांक............................

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06–सू०प्रा०–55 / 2018..1138.. पटना, दिनांक..16/6/25..

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13/6/25
सरकार के सचिव

स्थान आवंटन के लिए आवेदन फॉर्म के लिए आवश्यक विवरण :–

- स्टार्ट–अप का नाम
- स्टार्ट–अप का परिचय
- पंजीकृत पता
- फोन और ईमेल
- वेबसाइट
- फोन और ईमेल के साथ संबंधित व्यक्ति की पूर्ण सूचना ।
- कार्यक्षेत्र (आई०टी०/आई०टी०ई०एस०/ई०एस०डी०एम०)
- लक्षित कार्यक्षेत्र (हाँ/नहीं)
- प्रस्तावित कार्यों का विवरण
- संस्थापक का विवरण
- MoA, AoA (पिछले 3 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट)
- संबद्ध संवैधानिक लाईसेंस
- पैन और जी०एस०टी०एन०
- रेवन्यू शीट (पिछले तीन माह का)– हस्ताक्षरित एवं स्व–प्रमाणित ।
- न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (Minimum Viable Product for IT /ESDM Startup- viz. Simple landing page / basic mobile app with core functions/ prototype with limited functionality etc. may be forwarded through. apk/.ipa files)
- बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual property Rights) की पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण–पत्र
- किसी संस्था अथवा सरकारी निकाय से प्राप्त वित्तीय सहायता (प्रमाण–पत्र/वित्तीय विवरणी/रेवन्यू विवरणी)।
- भारत सरकार के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) का प्रमाण–पत्र ।
- जगह की आवश्यकता ।

बिहार आईटी निज़ी 2024 के तहत आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 और ई0एस0डी0एम0 प्रेक्षत्र के स्टार्ट–अप्स के लिए निम्नलिखित लक्षित क्षेत्र होगे :–

आई०टी०/आई०टी०ई०एस० सेक्टर	ई०एस०डी०एम० सेक्टर
• आई०टी० उत्पाद/सॉफ्टवेयर और सेवाएँ • नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (के०पी०ओ०) • कॉल सेंटर (बी०पी०ओ०) • सॉफ्टवेयर विकास केन्द्र • डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेंट • स्मार्ट टेक्नोलॉजीज • इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (आई०ओ०टी०) • बिग डाटा एनालेटिक्स • पीसी गेमिंग कंसोल गेमिंग, ऑनलाइन/मल्टीप्लेयर गेमिंग, मोबाईल गेमिंग, विडियो गेम्स • एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स या वीएफएक्स • वेब–डिजाइनिंग • ई–लर्निंग और ई–एजुकेशन • आईटी प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटर्स	• चीप निर्माण और डिजाइन • कंप्यूटर या पेरीफेरल्स और अन्य कार्यालय उपकरण विनिर्माण • सेमीकंडक्टर्स • सर्वर और स्टोरेज डिवाइस • संचार और नेटवर्किंग उपकरण • स्मार्ट टेक्नोलॉजीज • ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स • मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स • औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स • टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स • स्ट्रेटजिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण • इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएँ • सौर फोटो वोल्टाईक सेल और सौर पैनल • इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता और गैजेट • एल०ई०डी० • एंबेडेड सॉफ्टवेयर • रक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण • सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण • ड्रोन निर्माण • ई–वेस्ट रिसाईक्लिंग

* लक्षित क्षेत्र समय–समय पर बदल सकते हैं।

आई०टी० के अंतर्गत आर०एण्ड०डी० (Reasearch and Development) गतिविधियाँ के अंतर्गत उप भाग जिन पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा :–

- **इण्डस्ट्री 4.0 तकनीक**
  - साइबर सुरक्षा
  - ब्लॉकचेन/क्रिप्टो करंसी
  - ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
  - फिनटेक
  - एआई और मशीन लर्निंग
  - एआई आधारित ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस
  - जेनेरेटिव एआई
  - रोबोटिक्स
  - 3डी प्रिंटिंग
  - वर्चुअल/ऑगमेंटेड रियलिटी
  - एडवांस रोबोटिक्स और ऑटामेशन
  - आई०ओ०टी०
  - नैनो टेक्नोलॉजी/2डी मेटेरियल्स
  - बॉयो टेक्नोलॉजी/जेनेटिक्स और एग्रीकल्चरल इनोवेशन
  - जीनोमिक्स
  - स्थान आधारित योजना, सेवा वितरण के लिए जी०आई०एस० प्लेटफॉर्म
  - हाई परफोर्मेंस कम्प्यूटिंग (एच०पी०सी०)
  - डिजिटल ट्वीन्स
  - क्वांटम कंप्यूटिंग
  - माईक्रो सर्विसेज
- सूचना उपलब्धता और आपदा प्रबंधन।
- मूल्यवर्धन और नवाचार के लिए **Geospatial Data** की उपलब्धता को सक्षम करना।
- भाषा प्रोद्योगिकियों का विकास को शुरू करना, जो टेक्स्ट रूपांतरण, आवाज पहचान, मशीन अनुवाद, वॉयस वेब, इंटर लिंगुआ इत्यादि को सक्षम बनाकर सेवाओं के वितरण को भाषा से स्वतंत्र बना सके।
- आई०सी०टी० पर आधारित ग्रीन तकनीक
- नवाचार, उत्पाद पेटेंट और आई.पी. के साथ आई०टी० की पृष्ठभूमि के साथ अनुसंधान और विकास

परिशिष्ट–4

परिभाषाएँ

सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार :–

सूचना प्रावैधिकी विभाग को आई०टी० प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोगों और कार्यक्रमों के प्रचार और प्रसार के लिए नीतियाँ तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। विभाग को राज्य में आई०टी०/ आई०टी०ई०एस०/ ई०एस०डी०एम० ईकाईयों से निवेश आकर्षित करके मानव संसाधनों के प्रतिभाशाली पूल और स्थानीय युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने के लिए उत्तरदायी है।

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड :–

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी०एस०ई०डी०सी० लिमिटेड) बिहार सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्पयूटर के सामान और आई०टी० सेवाओं से संबंधित व्यवसाय में संलग्न एक उपक्रम है। कॉरपोरेशन सरकार की तकनीकी जरूरतों को पूरा करता है और राज्य सरकार के विभागों और एजेसियों के लिए आई०टी० परियोजनाओं की अवधारण और कार्यान्वयन करता है।

आई०टी० :–

सूचना प्रौद्योगिकी को डेटा के प्रसंस्करण एवं वितरण के लिए कंम्प्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के विकास, रख–रखाव और उपयोग से जुड़ी तकनीक के रूप में परिभाषित किया गया है। बिहार आईटी0 नीति 2024 दिनांक 09.01.2024 के खंड 1.3 के अनुसार लक्षित क्षेत्र शामिल है।

आई०टी० आधारित सेवा :–

आईटी आधारित सेवाएँ उन स्टार्ट–अप्स को संदर्भित करती हैं जो आईटी सेवाएँ या सिस्टम एकीकरण सेवाये प्रदान करती हैं, जिसमें आयकर नियमों की धारा 10 TA के तहत् सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) द्वारा निर्दिष्ट एवं बिहार आईटी नीति 2024 दिनांक 09.01.2024 के खंड–1.3 के अनुसार लक्षित क्षेत्र शामिल है।

ईएसडीएम :–

इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) में आईटी, दूर–संचार, रक्षा चिकित्सा, ऑटोमोटिव उपभोक्ता उत्पादों, उपरोक्त उत्पादों और अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक घटकों और भागों के समान के लिए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, डिजाइन और विनिर्माण (जिसमें एमबेडेड सॉफ्टवेयर शामिल होगा) शामिल है, लेकिन किन्ही तक सीमित नहीं है। बिहार आईटी नीति 2024 दिनांक 09.01.2024 के खंड–1.3 के अनुसार लक्षित क्षेत्र शामिल हैं।

कर्मचारी :–

कंपनी के कर्मचारी का अर्थ फर्म द्वारा पारिश्रमिक पर रखे गए पूर्णकालिक, ऑन रोल संसाधन होगा। कंपनी से मांगे जाने पर रोजगार के प्रासंगिक सबूत जैसे रोजगार पत्र, वेतन पर्ची, टी०डी०एस०/फॉर्म–16 और ई०पी०एफ०ओ० और ई०एस०आई० पंजीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

स्टार्टअप :–

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर किसी भी इकाई को स्टार्ट–अप के रूप में माना जायेगा :–

i. यदि यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में गठित/पंजीकृत की गयी हो या एक साझेदारी के रूप में पंजीकृत (साझेदारी अधिनियम, 1912 के धारा 59 के तहत) हो या एक सीमित देयता भागीदारी फर्म के रूप में (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) पंजीकृत होनी चाहिए। इकाई का गठन/पंजीकरण 10 वर्षों से अधिक अवधि का नहीं हो।

ii. इकाई के गठन/पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कारोबार एक सौ करोड़ रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

iii. इकाई नवाचार, उत्पाद प्रक्रिया या सेवाओं के विकास या सुधार की दिशा में कार्य कर रही हो या यह रोजगार सृजन एवं संसाधन सृजन की उच्च क्षमता के साथ स्केलेवल व्यवसाय मॉडल हो।

iv. परन्तु मौजूरा व्यवसाय के विभाजन या पुनर्निर्माण द्वारा बनाई गई इकाई को 'स्टार्ट–अप' नहीं माना जायेगा।

v. इकाई बिहार में गठित या पंजीकृत हो और कार्यालय बिहार में हो।

vi. इकाई के संचालन पर लागू होने वाले कर बिहार में देय हो।

निवेशक सुविधा केन्द्र :–

सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा स्थापित निवेशक सुविधा केन्द्र स्टार्ट–अप और निवेशकों के बीच समन्वय स्थापित कर आवेदन जमा करने में उनकी मदद करेगा।